अंबाराम

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य

27 अप्रैल, 2007

[एस. बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 :

धारा 302/34 - हत्या-सामान्य आशय-अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों द्वारा शराब पीते समय अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया मृतक की बहन ने आपत्ति जताई, जिस पर उस पर हमला किया गया - इस स्तर पर मृतक ने हस्तक्षेप किया लेकिन उस पर भी हमला किया गया - अपीलार्थी ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया - उसने दूसरों के प्रबोधन पर कार्यवाही की - अपीलार्थी को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक को कम से कम एक चोट लगी - मौका वारदात पर सामान्य आशय उत्पन्न हो सकता है - अपीलार्थी को धारा 302 / 34 भा.द.स. के तहत पूर्ण रूप से दोषी ठहराया गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त पीडब्लू 9 के घर के निकट शराब पी रहे थे। जब पीडब्लू 9 अपने घर से बाहर आई और उन्हें सही तरीके से पेश आने को कहा तो उन्होंने अभद्र गालियां

देना शुरू कर दिया और वे उपद्रव मचाने लगे। अभियुक्त ने पीडब्लू 9 पर हमला करना शुरू कर दिया। जब एक अभियुक्त ने पीडब्लू 9 पर पत्थर फेंका तो उसके भाई ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया। अपीलार्थी, जो अपने साथ एक कुल्हाड़ी लिये हुए था उसने उसके सिर पर उसकी कुंद तरफ से जोरदार प्रहार किया। एक अन्य अभियुक्त ने मृतक पर तीर चलाया। वह अचेत होकर नीचे गिर गया और बाद में उसने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी और दो अन्य अभियुक्तों को आई. पी. सी. की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषी ठहराया। अतः वर्तमान अपील याचिका।

इसलिए वर्तमान अपील याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया -

1.1 मृतक को मृत्यु से पूर्व लगी चोटों में से कम से कम एक चोट अपीलार्थी द्वारा कारित की गई थी। डॉक्टर द्वारा अपनी चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें, अभियोजन के पक्ष में मामले का समर्थन करती हैं। [पैरा 12] [869-डी, ई]

1.2. अपीलार्थी ने मृतक पर हमला करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पत्रावली पर उपलब्ध मौजूदा सामग्री से यह प्रतीत होता है कि उसने

पूरे घटनाक्रम में खुद को सक्रिय रूप से शामिल किया था। अपीलार्थी और एक सह-अभियुक्त ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया जबकि एक अन्य अभियुक्त ने मृतक पर तीर चलाया। वे कथित तौर पर 'मार डालों-मार डालों' कह कर चिल्ला रहे थे। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने एक अन्य व्यक्ति के सिर पर भी हमला किया है। इस बात का कोई कारण नहीं था कि अपीलार्थी और अन्य लोग मृतक के घर के सामने शराब पीने क्यों इकट्ठा हुये होंगे और वो भी घातक हथियारों से लैस होकर। उनसे केवल उपद्रव न करने और अभद्र भाषा में गालियां ना देने के लिये कहा गया था। यह ऐसा मामला नहीं था जहां पीडब्लू 9 ने उन्हें उकसाने की कोई बात कही हो। वह निहत्थी थी। वह महिला थी, फिर भी उसके साथ मारपीट की गयी। उस अवस्था में मृतक का भाई होने के नाते उसका हस्तक्षेप असामान्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां चोट अचानक उकसावे या क्रोध के आवेश से लगी हो। अपीलार्थी निजी बचाव के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। बताया जाता है कि वह घायल हो गया था लेकिन कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया। [पैरा 13] [869-ई, एफ, जी; 870-ए]

1.3. हर एक घटना में, अपीलार्थी का आशय सामान्य था। मौका ए वारदात पर सामान्य आशय उत्पन्न हो सकता है। अपीलार्थी ने दूसरों के उकसावे में आकर कार्य किया। उन्होंने पूरी घटना में हिस्सा लिया। उसके

पास खतरनाक हथियार था। उसने न केवल मृतक के साथ बल्कि एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मारपीट की। [पैरा 19] [872-सी]

शाहजहाँ और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, (2007) 7 स्केल 618 और राज पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, [2006] 9 एससीसी 678, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 637/2007

1998 की आपराधिक अपील संख्या 1239 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की खंडपीठ के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.05.2006 से।

अपीलार्थी के लिए अनीस अहमद खान और शोएब अहमद खान।

राज्य की ओर से डॉ. एन.एम. घटाटे, सी.डी. सिंह और मोरुसागर सामंतराय।

न्यायालय का फैसला एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यहां अपीलार्थी और उसके साथ कई अन्य व्यक्तियों जिनके नाम हुकूम, गिरधारी, पतिराम, नारायण और प्रहलाद को धारा 148,302/149

भारतीय दण्ड संहिता के के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

3. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार हैः-

दिनांक 2.3.1991 को शाम लगभग 4 बजे सावित्रीबाई और उनके परिवार के अन्य सदस्य सावित्रि बाई के घर के आंगन में बैठे थे। प्रहलादसिंह, अंबाराम, पतिराम, हुकुम, नारायण व गिरधारी शराब पी रहे थे। वे गंदी-गंदी गालियां देने लगे। सावित्रीबाई अपने घर से बाहर आईं और उनसे तरीके से पेश आने को कहा। उन्होंने शत्रुतापूर्ण रुख अपनाया। उन्होंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, और साथ ही पत्थर फेंके जिससे उसे चोटें आई। जब आरोपी हुकुम ने उस पर पत्थर फेंका, तो सावित्रीबाई के भाई प्रेम सिंह ने उसे बचाने की कोशिश की। उसे उनके द्वारा पकड़ लिया गया। हुकुम ने उस पर पत्थर मारा जिससे उसके सिर पर चोट लग गई। अंबाराम, जो कुल्हाड़ी लेकर आया था, उसने उसके सिर पर कुंद हिस्से से वार किया। अन्य आरोपी उसके घर में घुस आए। पतिराम धनुष-बाण लेकर आया और प्रेमसिंह पर तीर चला दिया। वह बेहोश होकर गिर गया। चंद्रकलाबाई ने वह तीर निकाला। बाजार से लौट रहे अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया। उनमें से छह लाेग हिम्मतसिंह, गेंदालाल, मानसिंह, कमलासिंह, सावित्रीबाई और फूल सिंह को अपीलार्थीगण चोटें कारित की गई।

4. इस बीच-बचाव में कुछ आरोपियों को चोटें भी लगीं। आरोप है कि अभियुक्तों के कृत्य से केवल उपर्युक्त लोगों को ही चोटें नहीं आईं, बल्कि सावित्रीबाई के घर की छत की टाइलें भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

5. दिनांक 3.3.1991 को प्रेम सिंह की चोट लगने के कारण मृत्यु हो गई।

6. प्रेम सिंह की मृत्यु का मानव वध की प्रकृति में आना विवादित नहीं है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों पर विचार करने के बाद अपीलार्थीयों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने केवल अंबाराम, हुकुम और प्रह्लाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया। अपीलार्थी गिरधारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया था।

7. केवल अपीलकर्ता अंबाराम हमारे सामने हैं।

8. इस न्यायालय द्वारा अपराध की प्रकृति के संबंध में एक सीमित नोटिस जारी किया गया था। 9. श्री अनीस अहमद खान, विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए और यह तर्क दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने केवल कुल्हाड़ी के कुंद हिस्से से हमला किया है, जिससे कोई गंभीर चोट नहीं आई है, यह केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II के तहत अपराध है।

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. एन.एम. घटाटे का कहना है कि अपीलकर्ता और अन्य विभिन्न घातक हथियारों से लैस थे और उन्होंने न केवल एक व्यक्ति की मौत की, बल्कि 06 अन्य लोगों को घायल भी किया। यह ऐसा मामला नहीं है जहां भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में जोड़ा गया खंड चौथा लागू होगा।

11. मृतक प्रेम सिंह को निम्नलिखित चोटें मृत्युपूर्व प्राप्त हुईं,

"I. उसके पेट में नाभि क्षेत्र से 2" नीचे 1" x 4" x गुहा गहरा एक छेदा हुआ घाव है। घाव ने छोटी आंत को छेद दिया है और $^{3}/_{4}$"x ½" x आकार की चोट का कारण बना है। ओमेंटम और छोटी आंत भी बाहर आ गई थी।

II. पश्चकपाल क्षेत्र पर 1"x ½ x 1/4" मापने वाले दो कटे हुए घाव और एक अन्य घाव 1"x ½" x 1/4" माप का है।

12. कम से कम एक चोट के लिए अपीलकर्ता को जिम्मेदार ठहराया गया है। डॉ. एन.के. पंचोली द्वारा अपनी चोट रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती हैं।

13. अपीलार्थी ने मृतक प्रेम सिंह पर हमला करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। रिकॉर्ड में मौजूद सामग्रियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पूरे प्रकरण में खुद को सक्रिय रूप से शामिल किया। अंबाराम और प्रहलाद

ने मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया जबकि पतिराम ने तीर मारा। वे कथित तौर पर 'मारो-मारो' चिल्ला रहे थे। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता अंबाराम ने हिम्मत सिंह के सिर पर भी हमला किया था। ऐसा कोई कारण नहीं था कि अपीलकर्ता अन्य लोगों के साथ मिलकर शराब पीने के लिए मृतक के घर के सामने इकट्ठा हुआ था और वह भी ऐसे घातक हथियारों से लैस। उनसे केवल इतना कहा गया था कि वे उपद्रव न करें और अभद्र भाषा में गालियां ना दें। यह कोई ऐसा मामला नहीं था जहां पीडब्लू -9, सावित्रीबाई ने कोई उकसावा दिया हो। वह निहत्थी थी। वह एक महिला थी, फिर भी उस पर हमला किया गया। उस समय मृतक का भाई होने के नाते हस्तक्षेप को असामान्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां चोटें अचानक उकसाने पर या क्रोध के आवेश में आकर कारित की गई है। अपीलकर्ता निजी बचाव के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि वह घायल हुआ लेकिन कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश नहीं किया गया।

14. इसलिए, इस मामले के प्रयोजन के लिए, हम धारा 299 और धारा 300 के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान दे सकते हैं।

धारा 299	**धारा 300**
एक व्यक्ति दोषी है यदि उसके द्वारा मानव वध किया जाता है और इससे	कुछ अपवादों के अधीन गैर इरादतन मानववध हत्या है यदि

किसी की मृत्यु हो जाती है।	वह कार्य किया गया है जिसके कारण मृत्यु हुई है।
आशय	
(ए) मृत्यु कारित करने के आशय से	(1) मृत्यु कारित करने के आशय से
(बी) ऐसी शारीरिक चोट जो संभवतः मृत्यु का कारण बनती हो	(2) ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने के आशय से जिसके बारे में अपराधी को पता हो कि इससे मृत्यु होने की संभावना है, जिसे नुकसान पहुंचाया गया है
	(3) किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से और पहुंचाई जाने वाली शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।
ज्ञान	
(सी) इस तर्क के साथ कि इस कार्य से मृत्यु होने की संभावना है।	(4) इस ज्ञान के साथ कि कार्य इतना खतरनाक है कि पूरी

	संभावना है कि इससे मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति हो सकती है जिससे मृत्यु होने की संभावना है, और ऐसा कार्य बिना किसी बहाने के करता है जिससे मृत्यु या इस तरह का जोखिम उत्पन्न होता या चोट जैसा कि ऊपर बताया गया है।

15. जबकि धारा 299 का खंड (बी) धारा 300 के दूसरे व तीसरे खंड को संदर्भित करता है, उक्त प्रावधानों की विशिष्ट विशेषता सर्वविदित है।

16. श्री अनीस अहमद खान ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा केवल एक चोट पहुंचाई गई थी। इसी तरह का एक प्रश्न हाल ही में शाहजहां और अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य, (2007) 3 स्केल 618 में विचारण के लिए आया था। जिसमें यह माना गया कि चोटों की संख्या निर्णायक नहीं है। चोटें कैसे और किस तरीके से लगी हैं, यह एक प्रासंगिक कारक होगा।

17. श्री अनीस अहमद खान द्वारा राज पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य, [2006] 9 एससीसी 678 पर भरोसा रखा गया है। उस मामले में, यह प्रतिपादित किया गया था।

"17. धारा 299 का खंड (बी) अपराधी को इस प्रकार का ज्ञान होना नहीं दर्शाता है। धारा 300 के खंड (2) के तहत आने वाले मामलों में ऐसा हो सकता है कि हमलावर यह जानते हुए जानबूझकर मुक्का मारकर मौत कारित करता है कि पीड़ित बढ़े हुए जिगर, या बढ़ी हुई प्लीहा या रोगग्रस्त हृदय से पीड़ित है और इस तरह के झटके से जिगर या प्लीहा के फटने या हृदय की विफलता के परिणामस्वरूप उस विशेष व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, जैसा भी मामला हो, हो सकता है यदि हमलावर को पीड़ित की बीमारी या विशेष दुर्बलता के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, न ही उसका इरादा मौत या शारीरिक चोट पहुंचाने का था, जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मौत का कारण बन सके, तो अपराध हत्या नहीं होगा, भले ही चोट जिसके कारण मृत्यु हुई है वह जानबूझकर दी गई थी। धारा 300 के खंड (3) में, धारा 299 के संबंधित खंड (बी) में आने वाले "मृत्यु का कारण बनने की संभावना" शब्दों के बजाय, " प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पर्याप्त" शब्द का प्रयोग किया

गया है। जाहिर है, अंतर ऐसी शारीरिक चोट के बीच है जिससे मृत्यु होने की संभावना है और प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त शारीरिक चोट के बीच है। अंतर ठीक है, लेकिन वास्तविक है और अगर इसे नजरअंदाज किया गया, तो न्याय की विफलता हो सकती है। धारा 299 के खंड (बी) और धारा 300 के खंड (3) के बीच का अंतर जानबूझकर कारित की गई शारीरिक चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु की संभावना की डिग्री का है। इसे अधिक विस्तीर्णता से कहें तो, यह मृत्यु की संभावना की डिग्री है जो यह निर्धारित करती है कि गैर इरादतन हत्या, मध्यम या निम्नतम डिग्री की है या नहीं। धारा 299 के खंड (बी) में "संभावना" शब्द संभाव्यता की भावना को व्यक्त करता है जो कि मात्र संभावना से अलग है। शब्द "शारीरिक चोट....प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त" का अर्थ है कि मृत्यु चोट का "सबसे संभावित" परिणाम होगी।

18. खंड (3) के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का इरादा मृत्यु कारित करने का हो, जब तक कि मृत्यु जानबूझकर कारित की गई और शारीरिक चोट या प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। कलारीमादाथिल

उन्नी बनाम केरल राज्य इस बिंदु का एक उपयुक्त उदाहरण है। (जोर दिया गया)

18. उक्त निर्णय श्री अहमद के तर्क का समर्थन नहीं करता है। यह उसके विपरीत चलता है।

19. किसी भी घटना में, अपीलकर्ता का सामान्य आशय होना माना गया। मौके पर सामान्य आशय विकसित हो सकता है। अपीलकर्ता ने दूसरों के उपदेश पर कार्य किया। उन्होंने पूरी घटना में हिस्सा लिया। उसके पास खतरनाक हथियार था। उसने न केवल मृतक के साथ बल्कि एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मारपीट की।

20. इसलिए, हमारी राय है कि आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाना पाया जाता है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनल पुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।